फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रामलाल बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड

किस्म मुकदमा – 128 भू राजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या : 48/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक [illegible]

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
विपक्षी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश नहीं किया गया। प्रकरण में विपक्षी अनुपस्थित।
किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। विपक्षी का जवाब का अवसर बंद
द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पत्थरगढी किये जाने अधिवक्ता प्रार्थी
का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया।
अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। प्रकरण में
प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता विपक्षीगण
सीमाकन नहीं होने से सीमा को लेकर भ्रम की स्थिति रहती है जिससे प्रार्थीगण को
असुविधा हो रही है। प्रार्थी अपनी भूमि का विकास नहीं कर पा रहा है जिससे पत्थरगढी
किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं
किया गया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार है। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र पर आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थीगण एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सरवानिया पटवार हल्का पीथलपुरा, तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 125 की आराजी न. 468 रकबा 0.0800 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:26:49 IST
Reason: SelfAttested